भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 446

(04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा निधि का दुरुपयोग और दुर्विनियोग

446. श्री अरविंद धर्मापुरीः

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि राज्य सरकारें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत जारी किए गए धन के दुरुपयोग और दुर्विनियोग में लिप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्विनियोग की गई धनराशि के ब्यौरे का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्च न्यायालय ने भी धनराशि के दुर्विनियोग का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत निधियों के दुर्विनियोजन संबंधी किसी विशेष बात की जानकारी मंत्रालय को नहीं मिली है। राज्यों से महात्मा गांधी नरेगा योजना निधियों के दुर्विनियोजन के मामलों की जानकारी मिलने पर मंत्रालय द्वारा स्थानीय निरीक्षणों, आंतरिक लेखा परीक्षाओं, सामाजिक लेखा परीक्षाओं आदि के माध्यम से शीघ्र जांच शुरू की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 30.1.2020 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केंद्रीय निधि का राज्य/सं.रा.क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 4.2.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 446 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रिलीज की गई केंद्रीय निधियां

(वि.व. 2019-20 में दिनांक 30.01.2020 तक)

(रू. करोड़ में**)**

क्र.सं.	**राज्य/सं.रा.क्षेत्र**	**रिलीज की गई केंद्रीय निधि**
1	आंध्र प्रदेश	6242.46
2	कर्नाटक	4905.07
3	मध्य प्रदेश	4118.79
4	ओडिशा	2222.19
5	राजस्थान	5613.92
6	तेलंगाना	1973.13
7	पुदुचेरी	15.26
8	पंजाब	703.50
9	उत्तर प्रदेश	4828.37
10	असम	1370.53
11	हरियाणा	286.61
12	झारखंड	1130.36
13	केरल	2509.12
14	मिजोरम	481.43
15	सिक्किम	60.55
16	तमिलनाडु	5114.35
17	गुजरात	707.90
18	हिमाचल प्रदेश	507.66
19	उत्तराखंड	396.27
20	त्रिपुरा	652.33
21	मेघालय	838.27
22	बिहार	2955.95
23	छत्तीसगढ़	2307.64
24	महाराष्ट्र	1620.32
25	पश्चिम बंगाल	7088.83
26	जम्मू और कश्मीर	825.62
27	मणिपुर	396.00
28	नगालैंड	298.54
29	गोवा	2.17
30	लक्षद्वीप	0.24
31	अरुणाचल प्रदेश	107.57
32	अंड. और निको. द्वीप समूह	1.87
	कुल	**60282.81**